अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/316/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 29th April, 2013

सेवा में

श्री सी.एस. रावत, वकील,
चैम्बर सं. 7,
उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 16.3.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 16.04.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि चूंकि आपका आवेदन कई लोक प्राधिकारियों/राज्य सरकारों/राज्य पुलिस से संबंधित है, इसलिए आपके आवेदन को धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित नहीं किया जा सकता है और आपको सलाह दी जाती है कि आप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.6.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/2/2008-आई आर के पैरा 3 (iii) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विभिन्न लोक प्राधिकारियों/राज्य सरकारों को अलग-अलग आर टी आई आवेदन प्रस्तुत करें तथा सीधे उनसे संपर्क करें। जहां तक इस प्राधिकारी का संबंध है, आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में आपको प्रदान किए जाने के लिए कोई सूचना नहीं है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

Issued
1223
6/5.

२०१७/RTI/2013
4/4/13

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना /अधिकारी भारत सरकार

गृह मंत्रालय साउथ ब्लाक नई दिल्ली

विषय :– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है :–

1. भारतीय संविधान के क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले कितने राज्यों में पुलिस कृमिकों की युनियन है? (भारत सरकार या राज्य सरकार) द्वारा स्वीकृत व पंजीकृत है? की मुद्रित व प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

दिनांक 16 / 03 / 2013

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi-1
2 8 MAR 2013
कोoसंo 567/5R
डाक संo
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Sec/North Block

प्रार्थी

सी० एस० रावत (एडवोकेट)

माननीय उच्च न्यायाल, उत्तराखण्ड

नैनीताल, चेम्बर नं० 7

Dir (PM2)